

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव,
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,
झारखण्ड, राँची।
संबंधित सिविल सर्जन, झारखण्ड,
संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, झारखण्ड।
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

/स्वा०, राँची, दिनांक- 02/07/2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 के व्यय हेतु मांग संख्या-20 स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी 001-निदेशन और प्रशासन A4-जिला चिकित्सा पदाधिकारी एवं मुख्यालय के अन्तर्गत कुल ₹ 3,11,98,250/- (तीन करोड़ ग्यारह लाख अठानवे हजार दो सौ पचास) का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत निम्नांकित लघु शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन संलग्न Online विवरणी में अंकित कार्यालयों को व्यय हेतु आवंटित किया जाता है:-

क्रम	मांग संख्या/ मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/ उपशीर्ष	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या-20/2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी	001-निदेशन और प्रशासन A4-जिला चिकित्सा पदाधिकारी एवं मुख्यालय	₹ 3,11,98,250/- (तीन करोड़ ग्यारह लाख अठानवे हजार दो सौ पचास)

2. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561(वि) दिनांक 17.04.98 एवं 1681/वि० दिनांक 10.06.15 के अनुसार होगी।

3. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/संबंधित सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, झारखण्ड (संलग्न विवरणी के अनुसार) होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करेंगे। वे इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र पर अंकित करेंगे कि विपत्र में निहित राशि की निकासी बजट उपबंध एवं आवंटित राशि के अधीन की जा रही है एवं राशि की निकासी के लिए वे स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं। प्रत्येक विपत्र के साथ आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जायेगी।

5. आवंटित राशि के मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष का मुहर तैयार कर विपत्र पर अंकित करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी प्रकार की भूल न हो सके।

(शिवजी वर्मा)

सरकार के अवर सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)

सरकार के संयुक्त सचिव

(संदीप कुमार दोराईबुरु)

सरकार के अपर सचिव

(अजय कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

कृ०प०उ०

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा कि स्थापना व्यय, राज्य योजना एवं एन0आर0एच0एम0 से आवंटित राशि का लेखा संधारण अलग-अलग रखेंगे।

7. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय संबंधित इकाई में आवंटित राशि के अन्तर्गत है। अधिक व्यय होने पर इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

8. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जाँच कर संतुष्ट हो ले कि बकाया राशि का निकासी निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नियमानुसार की गई है।

9. आवंटित राशि का व्यय विवरणी अगले माह के सात तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

10. वित्त विभागीय पत्र संख्या- 69/बजट दिनांक 11.02.2013 के आलोक में विद्युत विपत्रों के भुगतान की कार्रवाई की जाय। परिवहन भत्ता की अनुमान्यता के संबंध में निर्गत वित्त विभाग के पत्र संख्या- 3558/वि0 दिनांक 19.12.2013 के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

11. क्रय संबंधी सभी कार्य वित्त विभागीय निदेशों के अनुरूप यथा नियम एवं प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाय।

12. दवा क्रय में निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय :-

I. वैसे दवा का क्रय किया जाएगा जिसका दर निर्धारण (Rate Contract) निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया गया है एवं दर निर्धारण की Validity Period समाप्त नहीं हुआ है।

II. वैसे दवा जिसका दर निर्धारण निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड की सूची में नहीं हो अथवा दर निर्धारण अवधि समाप्त हो चुका हो। ऐसे दवाओं का क्रय Priority Basis पर किया जाएगा जिसकी संबंधित केन्द्र पर अत्याधिक आवश्यकता हो।

III. EDL के अनुसार सभी स्तर के अस्पतालों/ केन्द्रों के लिए दवाओं का नाम चिह्नित है। अनावश्यक रूप से अधिक दवाओं का क्रय संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा अन्यथा इसके लिए वे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे। दवाओं के तिथिवाद होने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

IV. आवश्यक एवं मौसमी बीमारी की दवाओं को प्राथमिकता दी जाय। आवश्यकता आधारित अगले चार माह तक ही दवा की खरीद की जाय।

V. दवाओं के क्रय में साँप काटने तथा कुत्ता काटने के कारण दी जाने वाली दवा की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

VI. क्रय किए गए दवाओं का Shelf Life कम से कम उसकी पूरी अवधि का 80 प्रतिशत होनी चाहिए।

VII. अस्पताल में उपलब्ध दवाओं की सूची जन साधारण के अवलोकनार्थ अस्पताल के सूचना पट्ट के निकट अथवा किसी अन्य उचित स्थान पर प्रदर्शित की जानी चाहिए।

VIII. सिविल सर्जन जिला के एक वरीय चिकित्सा पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित करेंगे जो जिले के सभी अस्पतालों में दवा की उपलब्धता का लगातार अनुश्रवण करेंगे एवं नियमित रूप से इसका प्रतिवेदन सिविल सर्जन को देंगे। सिविल सर्जन दवा की उपलब्धता को मासिक रूप से निदेशालय के उनके जिला के नोडल पदाधिकारी को सूचित करेंगे।

IX. सभी सिविल सर्जन दवाओं की उपलब्धता का आकलन करेंगे, जिन दवाओं की अगले तीन-चार माह में आवश्यकता हो, सिर्फ उन्ही दवाओं की मात्रा के अनुरूप निविदा निर्धारित प्रक्रिया के तहत क्रय कर सकेंगे। यदि दवा क्रय करने की आवश्यकता नहीं हो तो शीघ्र राशि प्रत्यर्पित करेंगे न कि मार्च 2026 में प्रत्यर्पण की कार्रवाई करेंगे।

29/7/2026

02/07/2026

(शिवजी वर्मा)

सरकार के अवर सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)

सरकार के संयुक्त सचिव

(संदीप कुमार दोराईबुरु)

सरकार के अपर सचिव

(अजय कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

कृ०पृ०३०

13. इस राशि से दवाओं के क्रय के उपरान्त व्यय विवरणी विभाग को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

14. स्वास्थ्य निदेशालय के पत्रांक 1644 (25) दिनांक 01.09.2017 के द्वारा निदेश है कि प्रेषित 60 दवाओं की सूची (Fast Moving Drugs) जिनकी उपलब्धता 25 प्रतिशत बफर स्टॉक के साथ अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों में बनाया रखना आवश्यक है, में से वैसी दवाएँ जो वर्तमान में राँची स्थित निगम के वेयर हाउस में उपलब्ध है तथा क्रय एवं आपूर्ति की प्रक्रिया में है, को छोड़कर शेष दवाओं के क्रय हेतु सभी जिलों को आवंटन निर्गत किया जा रहा है।

निगम के वेयर हाउस में उपलब्ध दवाओं में से यदि कोई दवा समाप्त हो जाये तो वैसी परिस्थिति में निगम की सहमति से उक्त दवा का क्रय जिलों/संस्थानों द्वारा प्राप्त आवंटन से किया जाए।

15. दवा क्रय के संबंध में विभागीय पत्रांक 04 (7) दिनांक 11.01.2019 के आलोक में स्पष्ट निदेश दिया गया है कि प्रबंध निदेशक, झारखण्ड मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एण्ड प्रोक्योरमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नामकुम, राँची द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली/करायी जा रही दवाओं को छोड़कर अन्य दवाओं का क्रय वास्तविक आवश्यकता का आकलन करते हुए किया जाए ताकि दवाओं के क्रय में किसी भी प्रकार के दोहरीकरण की संभावना न हो। यदि सूची से कोई दवा खरीद करनी है, तो संबंधित अधीक्षक द्वारा इस विषय पर लिखित औचित्य/आवश्यकता/आकस्मिकता को अंकित किया जाए।

16. विभागीय संकल्प संख्या 102 (6) दिनांक 09.02.2021 द्वारा राज्य के सभी वर्गों के अस्पतालों में निरंतर तथा नियमित रूप से दवाओं की उपलब्धता बनाये रखने हेतु झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत भारत सरकार के 05 औषधि निर्माता उपक्रमों से मनोनयन के आधार पर क्रय कर राज्य सरकार के विभिन्न अस्पतालों को आपूर्ति किए जाने के निमित्त उत्पादित 103 जेनरिक जीवन रक्षक दवाओं को क्रय किए जाने की स्वीकृति से संबंधित दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही उक्त के संबंध में विभागीय पत्रांक 149 (21) दिनांक 28.07.2022 में निहित निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

17. दवा मद में आवंटित राशि की निकासी दवा क्रय करने हेतु E-Tender/ GeM के तहत सारी विहित प्रक्रियाएँ पूरी करने के पश्चात करना सुनिश्चित किया जाए।

18. दवा का क्रय नियमानुसार करते हुए क्रय किये गये दवाओं की प्रविष्टि आवश्यक रूप से स्टॉक पंजी में किया जाय।

19. प्रत्येक माह स्वयं सिविल सर्जन द्वारा स्टॉक पंजी का सत्यापन किया जाय। विभाग से दवा भण्डार मद में आवंटन की मांग करने से पूर्व सिविल सर्जन द्वारा स्टॉक पंजी का सत्यापन करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र Invoice की प्रतिहस्ताक्षरित प्रति के साथ उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-7/स्थापना (व्यय)-आवंटन-11/2026 29(7)B /स्वा0,राँची,दिनांक- 02/07/2026
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हक0), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(शिवजी वर्मा)

सरकार के अवर सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)

सरकार के संयुक्त सचिव

(संदीप कुमार दोराईबुरु)

सरकार के अपर सचिव

(अजय कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

पूर्व में निर्गत आवंटन की विवरणी

क्र0	प्राथमिक इकाई	पूर्व में आवंटित राशि	आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	कार्यालय व्यय	1500000	2460000	3960000
2	किराया दर कर	0	110000	110000
3	कार्यालय उपकरण	1400000	3100000	4500000
4	आपूर्ति एवं सामग्री	700000	1155000	1855000
5	दूरभाष	525000	224000	749000
6	वर्दी	81500	159250	240750
7	चिकित्सकीय आपूर्ति	0	16000000	16000000
8	विद्युत व्यय	1000000	4990000	5990000
9	जेनरेटर का ईंधन	0	500000	500000
10	मोटर वाहन	0	1100000	1100000
11	मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति	1400000	1100000	2500000
12	विधि प्रभार	0	300000	300000
	कुल	6606500	31198250	37804750

आवंटन का सारांश

क्रमांक	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	कार्यालय व्यय	20S221001001A4000315	2460000
2	किराया दर कर	20S221001001A4000316	110000
3	कार्यालय उपकरण	20S221001001A4000317	3100000
4	आपूर्ति एवं सामग्री	20S221001001A4000323	1155000
5	दूरभाष	20S221001001A4000333	224000
6	वर्दी	20S221001001A4000334	159250
7	चिकित्सकीय आपूर्ति	20S221001001A4000336	16000000
8	विद्युत व्यय	20S221001001A4000337	4990000
9	जेनरेटर का ईंधन	20S221001001A4000375	500000
10	मोटर वाहन	20S221001001A4000441	1100000
11	मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति	20S221001001A4000442	1100000
12	विधि प्रभार	20S221001001A4000760	300000
	कुल आवंटित राशि		31198250

कुल : 3,11,98,250 / - (तीन करोड़ ग्यारह लाख अठानवे हजार दो सौ पचास)

29(7)A

02/07/2026

(शिवजी वर्मा)

सरकार के अवर सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)

सरकार के संयुक्त सचिव

(संदीप कुमार दोराईबुरु)

सरकार के अपर सचिव

(अजय कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

जिलावार, मदवार आवंटित राशि की विवरणी

क्रम	डी.डी.कोड	कार्यालय का नाम	कार्यालय व्यय	किराया दर कर	कार्यालय उपकरण	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	चिकित्सकीय आपूर्ति	विद्युत व्यय	जेनेरेटर का ईंधन	मोटर वाहन	मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल आवंटित राशि
1	CTRMED013	सिविल सर्जन, चतरा	75,000		1,00,000	50,000		5,000			75,000		1,00,000		4,05,000
2	DGRMEDD52	सिविल सर्जन, देवघर	2,50,000		3,00,000	50,000		18,000	30,00,000	19,00,000			2,00,000		57,18,000
3	DMKMED079	सिविल सर्जन, दुमका	1,50,000	1,00,000	1,50,000	50,000		25,000	8,00,000	5,00,000			50,000	1,00,000	19,25,000
4	GRDMED003	सिविल सर्जन, गिरिडीह	1,00,000		2,00,000	50,000	10,000	10,000	50,00,000				1,00,000		54,70,000
5	GRHMED001	सिविल सर्जन, गढ़वा	75,000		20,000	50,000	12,000			3,50,000	75,000	3,00,000	1,00,000	1,00,000	10,82,000
6	JMTMED058	सिविल सर्जन, जामताड़ा								40,000		4,00,000			4,40,000
7	JSRMED031	सिविल सर्जन, जमशेदपुर	50,000		1,00,000	50,000	50,000	10,000	2,00,000	5,00,000			1,00,000		10,60,000
8	KDMMEDA09	सिविल सर्जन, कोडरमा	50,000		1,00,000	50,000		10,000							2,10,000
9	KHNMEDL05	सिविल सर्जन, खूंटी	1,00,000		4,00,000	50,000	12,000		30,00,000		1,00,000		1,50,000		38,12,000
10	LDGMED008	सिविल सर्जन, लोहरदगा	75,000		50,000	50,000		10,000					50,000		2,35,000
11	PKRMED009	सिविल सर्जन, पाकुड़	1,00,000		1,00,000	50,000		10,000				3,00,000		1,00,000	6,60,000
12	PLMMED002	सिविल सर्जन, पलामू	2,00,000		1,00,000	50,000	50,000		10,00,000	4,00,000					18,00,000
13	RNCMED013	सिविल सर्जन, राँची	1,00,000		2,00,000	50,000	40,000	15,000		8,00,000	1,50,000		1,50,000		15,05,000
14	SBJMED001	सिविल सर्जन, साहेबगंज	50,000	10,000	1,00,000	50,000		10,000	10,00,000	1,00,000					13,20,000
15	SGHMED075	सिविल सर्जन, चाईबासा	1,00,000		1,00,000	50,000	50,000	20,000	20,00,000	3,00,000	1,00,000				27,20,000
16	CTRMED005	अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, चतरा	40,000		30,000	35,000		5,000							1,10,000
17	GRHMED021	अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गढ़वा			50,000	50,000		6,250		1,00,000					3,06,250
18	RGHMED026	अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ़	50,000			50,000				1,00,000					2,00,000
19	SKLMED110	अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सरायकेला	20,000			20,000									40,000
20	SGHMED077	अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, चाईबासा	50,000												50,000
21	DRNMED041	महिला विद्यालय चिकित्सा पदाधिकारी, राँची	25,000					5,000							30,000
22	DRNMED021	मुख्यालय	8,00,000		10,00,000	3,00,000									21,00,000
		कुल	24,60,000	1,10,000	31,00,000	11,55,000	2,24,000	1,59,250	1,60,00,000	49,90,000	5,00,000	11,00,000	11,00,000	3,00,000	3,11,98,250

29 (A) अ
02/07/2026

(शिवजी वर्मा)

सरकार के अवर सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)
सरकार के संयुक्त सचिव(संदीप कुमार दोराईबुरु)
सरकार के अपर सचिव(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

Sl No	TREASURY CODE	DDO NAME	DDO DESG	कार्यालय पता	विवरण- सं. वर	कार्यालय प्रकार	आरंभ एवं समाप्ति	दुरासा	वर्ष	वित्तवर्ग	वित्तवर्ग का अंश	मोटर वाहन	मोटर वाहन	मोटरवाही ईंधन एवं सामग्री	मोटरवाही ईंधन एवं सामग्री	शिप चार्ज	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Chatra	Satyendra Kumar	Cs Cum Cmo Chatra	75,000.00 (34849)	75,000.00 (34891)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2	Deoghhar	DGMED001	Ramesh Kumar	21,50,000.00 (34850)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Dumka	DGMED007	Dr. Kamleshwar Singh	11,50,000.00 (34851)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Girdih	GRDMED003	Dr. John Prasad Singh	11,00,000.00 (34852)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Garhwa	GRHMED001	Dr. John Prasad Singh	75,000.00 (34853)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Jamshedpur	JSRMED001	Dr. Sahil Paul Kennedy	150,000.00 (34854)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Koderma	KORMED002	Dr. Lalit Ranjan Pabak	150,000.00 (34855)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Khunti	KHMED005	Dr. Pradeep Kumar	1,00,000.00 (34856)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Lohardaga	LDGMED008	Dr. Pradeep Kumar	75,000.00 (34857)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Pakur	PKRMED009	Dr. Suresh Kumar	1,00,000.00 (34858)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Palamu	PLMMD002	Dr. Pradeep Kumar	2,00,000.00 (34861)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Ranchi	RCHMED001	Dr. Pradeep Kumar	1,00,000.00 (34862)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Sahebganj	SBMMD001	Dr. Pradeep Kumar	150,000.00 (34863)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Singbhum West	SGHMED007	Dr. Pradeep Kumar	1,00,000.00 (34864)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Chatra	CHRMED005	Dr. Pradeep Kumar	140,000.00 (34865)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Ramgarh	RGMED006	Dr. Pradeep Kumar	150,000.00 (34866)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Sarkelela	SKMEDI110	Dr. Pradeep Kumar	220,000.00 (34868)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Singbhum West	SGHMED007	Dr. Pradeep Kumar	150,000.00 (34869)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Donanda	DRMMD004	Dr. Pradeep Kumar	25,000.00 (34870)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Dinarda	DRMMD001	Dr. Pradeep Kumar	80,000.00 (34871)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Garhwa	GRHMED001	Dr. Pradeep Kumar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Jamtara	JMTMED008	Dr. Pradeep Kumar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

कुल आर्किव रॉल :- ₹ 3,11,98,250.00 (तीन करोड़ चारह सत्रह अठारस हजार दो सौ पचास) रुपये मात्र

29/9/2026
02/09/2026

ADDITIONAL CHIEF SECRETARY